6.7.23	प्रथम पक्ष काउन्सल हाजिर। द्वितीय पक्ष अनु०। प्रथम पक्ष के द्वारा पाँच गवाह प्रस्तुत किया गया तथा गवाही शपथ-पत्र के माध्यम से दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष को नोटिस का तामिला किया गया [illegible]

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में संधारित है। द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं अतः उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आलोक में यह आदेश पारित किया जा रहा है। प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा- पुरुजो, थाना- बिरनी में स्थित खाता- 02, प्लाट सं०- 61, रकबा- 16 डी. उनके खास दखल- कब्जे में है जिसमें 9 डी. भूमि पर मकान बना हुआ है जो आवासन हेतु उपयोग में लाया जाता है। उक्त आवास के आवागमन के लिये उपयोग में लाई जा रही भूमि में द्वितीय पक्ष के द्वारा ड्रेंच काटकर आवागमन को अवरुद्ध कर दिया गया है। प्रथम पक्ष के आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः द. प्र. स. की धारा- 147 के तहत मार्ग अवरोध को हटाने का अनुरोध प्रथम पक्ष के द्वारा किया गया है। द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	मॉंगा की गई। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी पर्याप्त अवसर मिलने पर भी द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं हुये तथा अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावा के समर्थन में गवाहों को प्रस्तुत किया गया। गवाह सं०-1 के अनुसार उमाशंकर सिंह एवं अशोक सिंह वगै० के बीच रास्ता का विवाद चल रहा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा नींव की खुदाई एवं ईंट गिराकर रास्ता को बाधित कर दिया गया है जिससे प्रथम पक्ष के घर आने जाने का रास्ता बन्द हो गया है। उक्त रास्ता प्रथम पक्ष का अपना निजी रास्ता है। गवाह सं०-2, सोनू कुमार सिंह के अनुसार उभय पक्षों के बीच रास्ते का विवाद है। प्रथम पक्ष के द्वारा जिस रास्ते का उपयोग अपने मकान से आने-जाने के लिये किया जाता था उसे द्वितीय पक्ष के द्वारा नींव की खुदाई एवं ईंट गिराकर बाधित कर दिया गया है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	मेरे द्वारा सोच देखा जा रहा है कि उक्त रास्ते का उपयोग प्रथम पक्ष के द्वारा ही केवल किया जाता रहा है।	
	गवाह सं०-3 चमटू महतो के अनुसार उभय पक्षों के बीच रास्ता का विवाद है। खाता-2, प्लाट-61, रकबा-7 डी. में स्थित रास्ता को द्वितीय पक्ष के द्वारा नींव की खुदाई एवं ईंट गिराकर बाधित कर दिया गया है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रथम पक्ष के द्वारा किया जाता रहा है। प्रथम पक्ष का यह अपना निजी रास्ता है।	
	गवाह सं०-4 विष्णुदेव प्रसाद वर्मा के अनुसार मौजा-पुरनी के खाता-2, प्लाट-61, रकबा-7 डी. में स्थित रास्ता को द्वितीय पक्ष के द्वारा नींव खुदाई एवं ईंट गिराकर बाधित कर दिया गया है; जिससे प्रथम पक्ष के घर आने-जाने का रास्ता बन्द हो गया है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के	

श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
4 1	2	3
	आने-जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गवाह सं०-5 के अनुसार वाद सं०-01/23 उमाशंकर सिंह बनाम अशोक सिंह वगै० के बीच रास्ता के विवाद को लेकर चल रहा है। खाता-2, प्लाट-61, रकबा-07 डी. में स्थित रास्ता को द्वितीय पक्ष के द्वारा बाधित कर दिया गया है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रथम पक्ष को अपने मकान में आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रथम पक्ष के द्वारा एक गैरनिबंधित इकरारनामा भी दाखिल किया गया है, उक्त इकरारनामा के अनुसार प्रथम पक्ष को उक्त रास्ते की भूमि हासिल है। यह इकरार 28/06/2019 को निष्पादित किया गया था। गवाहों के बयान तथा दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से संतुष्ट होकर प्रथम पक्ष सुखाचार के अधिकार को सम्पुष्ट करता हूँ तथा	

(2)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि तत्काल मार्ग अवरोध को हटाना सुनिश्चित करें। थाना प्रभारी, बिरनी इस आदेश का अनुपालन करायें। सभी पक्षकारों को इस आदेश से अवगत करायें। 6/7/23. SDM Bagodar-Sariya.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.07.07 18:19:17 +05:30
Location: 192.168.1.7